संख्या- 21/195/बयालिस-2015-196(विविध)/2015

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 29 अपैल, 2016**

विषय :- एकलव्य स्पोर्टस स्टेडियम, आगरा के अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0- 1284/नि0खे0का0पत्रा0/2015-16, दिनांक 25 फरवरी, 2016 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय एकलव्य स्पोर्टस स्टेडियम, आगरा के अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 513.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष- 2016-17 में खेल एवं खेल से सम्बन्धित कार्य कलाप मद में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 5.00 करोड़ में से रू0 256.87 लाख (रू0 दो करोड़ छप्पन लाख सत्तासी हजार मात्र) निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 256.87 लाख (रू0 दो करोड़ छप्पन लाख सत्तासी हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- प्रायोजना अन्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3)- प्रायोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करने से पूर्ण मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(4)- प्रश्नगत प्रायोजना में प्रस्तावित कार्य हॉकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ लगाये जाने से सम्बन्धित है। अत: प्रशासकीय विभाग द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाये, जिसमें खेल जगत से सम्बन्धित अनुभवी व्यक्तियों को भी रखा जाय तथा इन्हीं की देख-रेख में कार्यों का सम्पादन किया जाये, जिससे भविष्य में अन्यथा की स्थिति से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त कार्यमदे उच्च विशिष्टियों की श्रेणी के अन्तर्गत आती है। इस लिए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)- प्रायोजना प्रस्ताव में एथलेटिक मैटेरियल मद में रू0 22.17 लाख, सप्लाई एवं लेइंग आफ फारेन मैटेरियल एवं साइट मद में रू0 378.00 लाख तथा प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग हॉकी गोल पोस्ट विद नेट (4जॉब) मद में रू0 52.00 लाख का एकमुश्त प्राविधान किया गया है। विस्तृत विवरण के अभाव में प्रभाग द्वारा इन मदों की प्रस्तावित लागत में 20 प्रतिशत की कमी करते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है। उक्त मद में व्यय विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6)- प्रायोजनान्तर्गत हॉकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ के कार्य प्रस्तावित किये गये है। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभावित है। अत: प्रशासनिक विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों तथा न्यूनतम् आवश्यकता के आधार पर किया जाय।

(7)- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा।

(8)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(9)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(10)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(11)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(12)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(13)- प्रायोजनान्तर्गत समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2016-17 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-87-खेल एवं खेल से सम्बन्धित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5- 471/2016, दिनांक : 27 अप्रेल, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीया,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

http://sansadeshup.nic.in

संख्या- 21/195(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, आगरा।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, आगरा।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(9)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in